ऑपरेशन वीड आउट: डीआरआई मुंबई ने मुंबई हवाई अड्डे पर 42 करोड़ रुपये मूल्य की 42 किलोग्राम से अधिक उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की; दो गिरफ्तार

डीआरआई ने 3 दिनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नशीली दवाएं जब्त की हैं

प्रविष्टि तिथि: 04 NOV 2025 7:26PM by PIB Delhi

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने वर्तमान में जारी "ऑपरेशन वीड आउट" के अंतर्गत एक बड़ी सफलता में रविवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर बैंकॉक से आने वाले दो यात्रियों से 42.34 किलोग्राम उच्च श्रेणी का हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 42 करोड़ रुपये है।

विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने आगमन के तुरंत बाद दोनों यात्रियों को रोक कर उनके सामान की विस्तृत जांच की। तलाशी में 21 खाने के पैकेट बरामद हुए – जिनमें नूडल्स और बिस्कुट शामिल थे। इनमें नियमित खाद्य पैकेजिंग के भीतर चतुराई से छुपाया गया हाइड्रोपोनिक वीड पाया गया। एनडीपीएस किट का उपयोग करके किए गए फील्ड परीक्षणों में मादक पदार्थों की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

यह डीआरआई द्वारा मात्र तीन दिनों में दूसरा बड़ा ड्रग भंडाफोड़ है, इससे पहले शुक्रवार (31.10.2025) को 47 करोड़ रुपये मूल्य की 4.7 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई थी, जिसमें वाहक, वित्तपोषक, संचालक और वितरक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी कार्रवाइयों से पिछले तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है, जिससे भारत के पश्चिमी प्रवेश द्वारों से संचालित संगठित ड्रग-तस्करी नेटवर्क को करारा झटका लगा है।

इसके अलावा, डीआरआई ने ऑपरेशन वीड आउट के अंतर्गत भारत के विभिन्न हवाई अड्डों से 292.9 किलो ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है।

डीआरआई तस्करी के उभरते चलन, विशेष रूप से नशीली दवाओं को छिपाने के लिए खाने के पैकेटों और उप भोग्य वस्तुओं के बढ़ते इस्तेमाल और भारतीय नागरिकों को वाहक के रूप में इस्तेमाल करने के प्रति लगातार सतर्क है।

डीआरआई मादक पदार्थों की निरंतर रोकथाम, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा की रक्षा करके नशा मुक्त भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।

Pack 6

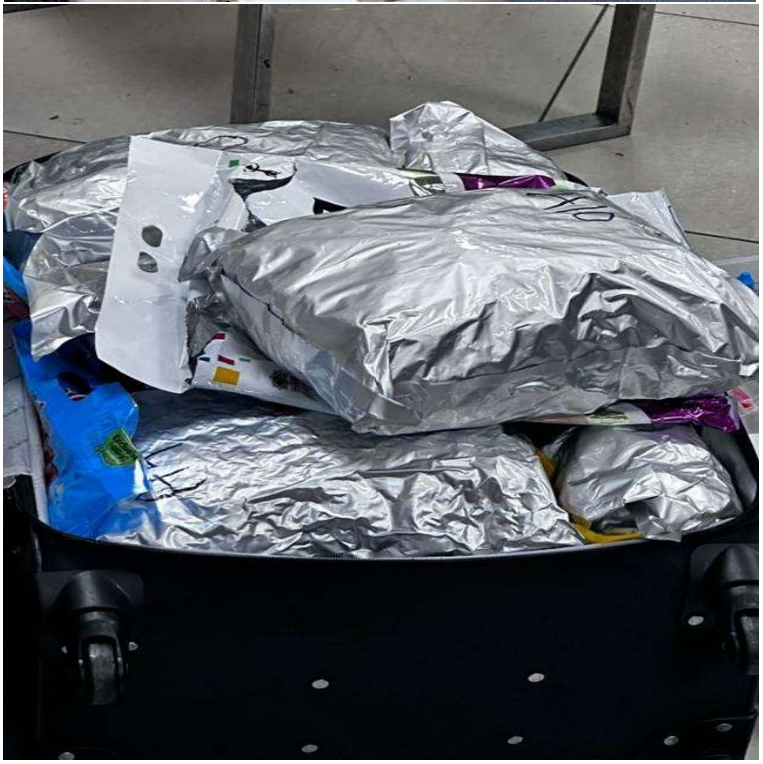

पीके/केसी/एमकेएस/डीके

(रिलीज़ आईडी: 2186432) आगंतुक पटल : 210

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Punjabi , Gujarati , Telugu